Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **निम्बाहेडा**

अंकित कुमार पिता ज्ञानमल बनाम तहसीलदार निम्बाहेड़ा

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** मु.न. 197 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
10.06.2024	प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ौसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुये, उनकी की उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 487 की आराजी नंबर 1317 रकबा 1.7800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1318 रकबा 0.22000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1319 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1320 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1321 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1322 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1323 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1348 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1349 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 5.0400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Pancholi Date: 2024.10.07 15:49:06 IST Reason: SelfAttested	